19-08-2010

श्री जगदीश ठाकोर (पाटन)ः मैं माननीय रेल मंत्री जी रेल विभाग की पूरक माँगे ले के आये हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ । माननीय रेल मंत्री ममता दीदी जिस लगन से काम कर रही है उसका मैं धन्यवाद करता हूँ । रेल विभाग में जमीन अधिग्रहण के मामले में किसान के पक्ष में है । वह खुद भी किसान की गरीब कि लड़ाई लड़नी है ।

मैं माननीय मंत्री जी के रेल विभाग के अधिकारी किस तरह से काम करते हैं । उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

अहमदाबाद जिले के साणद रेलमार्ग के लिए नक्शे बने लेकिन बिल्डर्स लोगों ने दबाव बनाया - रेल मार्ग केन्सल होकर जहां किसान की उपजाऊ जमीन थी नई रेल लाइन का रूट डाला गया ।

मैं छोटी-छोटी बातें जो अधिकारियों के ध्यान में लाया हूँ । वह भी काम विस्तार का होना नहीं है । दिल्ली से मुंबई तक का यह रेलमार्ग काफी हद में समानंतर रेलमार्ग बन रहा है । लेकिन गुजरात के अमीरगढ़ से बड़ौदा तक यह रेलमार्ग समांतर नहीं बन रहा है । और किसानों की उपजाऊ जमीन अधिग्रहण करके बनाया जा रहा है । उसका मैं विरोध करता हूँ । वैश्विक औद्योगिक हरिफर्ट में हम भी औद्योगिक विकास करना चाहते हैं । ट्रंसपोर्टेशन में तेजी लाने के लिए हमें और भी काम करने होंगे ।

लेकिन हम सब विकास के बदले में जो किसान कि जमीन कायम के लिए जा रही है । किसान की रोजी छीन रही है । उसका भी हमें ध्यान रखना होगा ।

माननीय सभापति जी किसान हमारे देश के विकास की धरोहर हैं । किसान से हमारी तरक्की हुई है । हरित क्रंति का जनक किसान है ।

उस किसान की जमीन अधिग्रहण करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी जो उसे राजी करके एक साथ काम करे उसे उजाड़ कर हम कोई विकास नहीं कर सकते मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ ।

डी.एफ.सी. रेल प्रोजेक्ट योजना, उत्तर भारत से पश्चिम भारत तक अर्थात् दिल्ली के गुडगांव से मुम्बई के जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह तक करीब 1450 कि.मी. लम्बा रेल मार्ग बनने वाला है।

इनमें से गुजरात में 650 कि.मी. की लम्बाई का रेलमार्ग बनने जा रहा है। गुजरात में यह रेल प्रोजेक्ट के साथ-साथ पांच इंडस्ट्रियल पार्क और 2 एस.आई.आर. बनने जा रहे हैं।

गुजरात के 1600 कि.मी. लंबे दरियाई मार्ग पर आये हुए ऐतिहासिक बंदरगाह कांडला, मुद्रा, पिपावाव, धौलेरा, दहेज, हजीरा, ऊमरगांव, रेल पट्टी से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं। 150 कि.मी. के इंडस्ट्रियल पार्क बनने की वजह से रेल प्रोजेक्ट व इंडस्ट्रीज में काफी विकास होने वाला है। इसके हिसाब से जमीनों के भाव भी काफी बढ़ने वाले हैं इससे देश को और गुजरात राज्य को काफी फायदा होने वाला है।

मेरे मतक्षेत्र पाटन के पालनपुर पड़गावे के 12 गांवों, पाटन के 16 गांव, सिद्धपुर के 12 गांव, मेहसाणा जिले के कई गांव की जमीन इस रेल प्रोजेक्ट में जा रही है। पहले रेल की समानांतर लाइन पर ये प्रोजेक्ट बनने वाला था। अब सुनने में आया है कि यह रेल प्रोजेक्ट समानांतर नहीं होगा और अलग भूमि अधिग्रहण करके रेल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। मेरा आपके द्वारा सरकार से अनुरोध है कि यह रेल प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है वह अभी जो रेल पटरी है ऊसके समानांतर बनाया जाए ताकि किसानों की ऊपजाऊ जमीन बर्बाद ना हो और बड़ी मात्रा में किसानों को नुकसान न हो।

किसान यूनियन ने अपनी जमीन न जाए ऊसके लिए रेल विभाग के अधिकारियों से काफी मीटिंग की। सांसद व पूर्व सांसदों ने भी माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर भी ये बातें कई बार बताई लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला।

आज जमीन के जो जंत्री भाव हैं वह बहुत ही कम है और मार्केट वेल्यू जमीन की ज्यादा है। जमीन अगर अधिग्रहण करनी ही पड़ी तो मार्केट वैल्यू की जंत्री का एक नियम बनाकर इन किसानों की जमीन ली जाए ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

जिस जमीन पर मकान हैं, टयूबवैल हैं, पाइपलाइन आदि सिंचाई की सुविधा है, झाड़, पौधे या बागवानी की जमीन है ऊस जमीन का सर्वे करके मुआवजे में भी इन चीजों का समावेश होना चाहिए।

जमीन अगर 2010 में अधिग्रहण होती है तो ऊसका मुआवजा भी किसानों को 2010 में ही मिलना चाहिए। पर्यावरण और बाकी बचे हुए किसानों को ऊसका नुकसान न हो ऊसका भी ध्यान

रखा जाए। जो बाकी जमीन बची है उसमें बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था, उसे खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था का सही ख्याल रखा जाए।

मेरे मतक्षेत्र पाटन बनासकाठा, मैसाना से गुजरने वाली रेल पटरी में जो जमीन जा रही है उससे पहले ओ.एन.जी.सी., नेशनल हाइवे, जी.एस.पी.एल. और कई कामों के लिए किसानों के अपनी जमीनें दी हैं। ओ.एन.जी.सी. ने ठीक मुआवजा दिया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे मतक्षेत्र पाटन, बनासकाठा और मैसाना के किसानों की जमीन ये रेल प्रोजेक्ट में अगर जाती है तो उसका मार्केट वैल्यू से मुआवजा देना चाहिए। किसानों का रिवेन्यू रिकॉर्ड आज से ही सही करवाना चाहिए। जो किसान की जमीन जाती है उसके नक्शे किसान को पहले से दिए जाने चाहिए। यह सब करने के बाद अगर भूमि ग्रहण होता है तो शायद किसान जमीन देने के लिए राजी होगा। किसान से जबरन कम भाव में जमीन लेने से वहां किसान भड़क उठेगा। नियम व कानून की समस्या खड़ी होगी और किसान आंदोलित होकर सरकार के सामने खड़ा हो जाएगा। इसीलिए, मेरा आपके द्वारा सरकार से अनुरोध है कि मार्केट वैल्यू दे कि किसान की जमीन ली जाए।